2017/00419

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

नं. 1/23017 (28/11/17) तारीख रजू........................

केन्द्रीय शिक्षण संस्थान बनाम रघुवीर वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/1/2017	वकील वादी उपस्थित। यह दावा वादी के वकील ने पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को समन तलब हो। पत्रावली दिनांक 7/3/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
7/3/17	पुकार करीकेन P.O. बवजह अवकाश [illegible] पत्रावली दिनांक 18/3/17 को पेश हो।	
18/3/17	वकील वादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 25/1/17 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10/10/17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/10/17	पुकार करीकन P.O. बवजह [illegible] पत्रावली दिनांक 5/12/17 को पेश हो।	
5/12/17	वकील वादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 25/1/17 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/2/18 को पेश हो। R[illegible] जारी करें। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	RR-122 25/1/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार की ता
8/11/22	पत्रावली पेश हुई। ~~पत्रावली~~ कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शाठ मि० किया पत्रावली पैमाना सुमार होकर नक्शा जिल्द हो बाद तकमील जिला रिकॉर्ड रुम भण्डार भी भिजवाया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/230/ए

वउनवान

1. वैष्णवी शिक्षण संस्थान कठूमर जरिये खैमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ वादी

बनाम

1. रघुवीर पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना
2. शेरसिंह पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना
3. राजवीरसिंह पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना तहसील कठूमर जिला अलवर
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

----- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री रामजीलाल शर्मा

श्री मानसिंह चौधरी –अधिवक्तागण वादी

निर्णय दिनांक 03.11.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 322 रकवा 1.23 हे. 323 रकवा 1.67 हे. ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर में स्थित है खसरा नम्बर 322 में वादी का 76/123 हिस्सा खसरा नम्बर 323 में वादी का 13/167 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

वुरी आराजी तकासमा कराने व मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी को सुनकर व पत्रावली के तथ्यों व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर वाद वादी दिनांक 21.12.2021 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 29.09.2022 को पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व वहस सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 322/1 रकवा 0.76 हे. बा0ए वादी वैष्णवी शिक्षण संस्थान को खसरा नम्बर 322/2 रकवा 0.47 हे. बा0ए गजेन्द्र पुत्र अंगदसिंह राजपूत हिस्सा 542/4700, रघुवीर पुत्र अंगदसिह राजपूत हिस्सा 3075/4700, राजवीर पुत्र अंगदसिंह राजपूत हिस्सा 542/4700, शेरसिह पुत्र अंगदसिंह राजपूत 541/4700 हिस्सा खसरा नम्बर 323/1 रकवा 0.13 हे. बा0ए वादी वैष्णवी शिक्षण संस्थान कठूमर को व खसरा नम्बर 323/2 रकवा 1.54 हे.बा0ए गजेन्द्रसिंह पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400,रघुवीर पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400 राजवीर पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400 शेरसिंह पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 2875/15400 रहन बदस्तूर वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर को तकसीम में दिये है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्ष ने एतराज पेश नहीं किया है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर के मुताविक वाद वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 322/1 रकवा 0.76 हे. बा0ए वादी वैष्णवी शिक्षण संस्थान को खसरा नम्बर 322/2 रकवा 0.47 हे. बा0ए गजेन्द्र पुत्र अंगदसिंह राजपूत हिस्सा 542/4700, रघुवीर पुत्र अंगदसिह राजपूत हिस्सा 3075/4700, राजवीर पुत्र अंगदसिंह राजपूत हिस्सा 542/4700, शेरसिह पुत्र अंगदसिंह राजपूत 541/4700 हिस्सा खसरा नम्बर 323/1 रकवा 0.13 हे. बा0ए वादी वैष्णवी शिक्षण संस्थान कठूमर को व खसरा नम्बर 323/2 रकवा 1.54 हे.बा0ए गजेन्द्रसिंह पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400, रघुवीर पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400 राजवीर पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400 शेरसिंह पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 2875/15400 रहन बदस्तूर वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत हाल राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता कायम करें। जमाबन्दी के अनुसार रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 03.11.2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/230/ए

वउनवान

1. वैष्णवी शिक्षण संस्थान कठूमर जरिये खैमसिंह पुत्र देवीसिंह जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

——— डिक्रीदार

बनाम

1. रघुवीर पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना
2. शेरसिंह पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना
3. राजवीरसिंह पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र अंगदसिंह जाति राजपूत निवासी डयोठाना तहसील कठूमर जिला अलवर
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

——— मदयूनान

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी निर्णय दिनांक 03.11.2022 के मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 322/1 रकवा 0.76 हे. बा0ए वादी वैष्णवी शिक्षण संस्थान को खसरा नम्बर 322/2 रकवा 0.47 हे. बा0ए गजेन्द्र पुत्र अंगदसिंह राजपूत हिस्सा 542/4700, रघुवीर पुत्र अंगदसिह राजपूत हिस्सा 3075/4700, राजवीर पुत्र अंगदसिंह राजपूत हिस्सा 542/4700, शेरसिह पुत्र अंगदसिंह राजपूत 541/4700 हिस्सा खसरा नम्बर 323/1 रकवा 0.13 हे. बा0ए वादी वैष्णवी शिक्षण संस्थान कठूमर को व खसरा नम्बर 323/2 रकवा 1.54 हे.बा0ए गजेन्द्रसिंह पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400, रघुवीर पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400 राजवीर पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 4175/15400 शेरसिंह पुत्र अंगदसिंह हिस्सा 2875/15400 रहन बदस्तूर वाके ग्राम डयोठाना तहसील कठूमर को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता कायम करें। जमाबन्दी के अनुसार रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे।

आज दिनांक 03.11.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज.